

अध्याय - VII

अंतरिक्ष विभाग

7.1 उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली का परिचालन

भारत सरकार द्वारा मई 2006 में ₹ 1,420 करोड़ की लागत पर भारतीय भूमि और आस पास के क्षेत्र पर एक स्वतंत्र और स्वदेशी उपग्रह आधारित दिशानिर्देशन प्रणाली स्थापित करने के लिए नाविक को मंजूर किया गया। कार्यक्रम पर अब तक ₹ 1,283.93 करोड़ का व्यय किया गया था। हालांकि, अनुबंधों के क्रियान्वयन में देरी, कार्यक्रम की अपूर्ण निगरानी और अपर्याप्त कार्यवाही/जाँच के कारण प्रणाली का अभी तक परिचालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹ 3.57 करोड़ मॉडेम की अनावश्यक खरीद पर खर्च किए गए थे।

7.1.1 प्रस्तावना

भारतीय नक्षत्र के साथ दिशानिर्देशन (नाविक⁴¹), भारत तथा इसके आसपास के अधिकतम 1,500 कि.मी. क्षेत्र में एक प्राथमिक सेवा क्षेत्र (पी.एस.ए.) पर स्थिति, दिशानिर्देशन तथा समय (पी.एन.टी.) सेवा प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली बनाने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की एक पहल है। नाविक में स्थलीय, हवाई, महासागरीय दिशानिर्देशन, आपदा प्रबंधन, वाहन अनुवर्तन तथा बेड़ा प्रबंधन, मोबाइल फोन के साथ समाकलन, परिशुद्ध काल-गणना, मानचित्रण तथा भूगणितीय आंकड़ा अर्जन, पदयात्रियों तथा पर्यटकों के लिए स्थलीय दिशानिर्देशन सुविधा, चालको के लिए दृश्य व श्रव्य दिशानिर्देशन सुविधा शामिल है। इसरो ने रेलवे, भूमि परिवहन, मोबाइल सम्प्रेषण तथा आम जनता को सक्षम सिविलियन उपयोगकर्ता तथा रक्षा, सुरक्षा अनुप्रयोगों को गैर-सिविलियन उपयोगकर्ता के रूप में चिन्हित किया (मार्च 2006)।

नाविक में अंतरिक्ष खंड, भूमि खंड और उपयोगकर्ता खंड शामिल है। अंतरिक्ष खंड में सात उपग्रहों (आई.आर.एन.एस.एस.-1ए, आई.आर.एन.एस.एस.-1बी, आई.आर.एन.एस.एस.-1सी, आई.आर.एन.एस.एस.-1डी, आई.आर.एन.एस.एस.-1ई, आई.आर.एन.एस.एस.-1एफ और आई.आर.एन.एस.एस.-1जी) का समूह/नक्षत्र शामिल है, जो जुलाई 2013 और अप्रैल 2016 के बीच प्रक्षेपित किए गए थे। भूमि खंड नाविक समूह/नक्षत्र के रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता खंड

⁴¹ प्रारम्भ में भारतीय क्षेत्रीय दिशानिर्देशन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) के रूप में जाना जाता था।

में, नाविक सिग्नल प्राप्त करने की योग्यता वाले आवृत्ति उपयोगकर्ता रिसीवर शामिल हैं।

भारत सरकार ने नाविक के लिए ₹ 1,420 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी (मई 2006)। मार्च 2017 तक, नाविक कार्यक्रम के तहत ₹ 1,283.93 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 1,162.21 करोड़⁴² का खर्च प्रक्षेपण वाहनों व उपग्रहों तथा भूमि खंड के रख-रखाव पर अलग से किया गया था।

इसरो मुख्यालय में उपग्रह दिशानिर्देशन कार्यक्रम कार्यालय (एस.एन.पी.ओ.), नाविक कार्यक्रम के समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा, कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए एक परियोजना प्रबंधन परिषद (पी.एम.सी.) और एक परियोजना प्रबंधन बोर्ड (पी.एम.बी.) का गठन में किया गया (जुलाई 2006)।

नाविक के प्रबंधन की एक लेखा परीक्षा 2012-17 की अवधि के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

7.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.1.2.1 नाविक कार्यक्रम का गैर-संचालन

नाविक समूह/नक्षत्र का विकास और परिनियोजन, भूमि अवसंरचना, दिशानिर्देशन, सुरक्षा और प्रमाणीकरण, सत्यापन सॉफ्टवेयर परियोजना के अनुमोदन की तारीख से पांच से छह वर्ष के भीतर अर्थात् दिसम्बर 2011 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, विभिन्न खंडों की प्राप्ति में देरी की वजह से, नाविक कार्यक्रम जून 2017 तक परिचालन में नहीं था।

7.1.2.2 नाविक घटकों की प्राप्ति में देरी

लेखापरीक्षा द्वारा 45 अनुबंधों⁴³ जिन्हें नाविक कार्यक्रम के तीन खण्डों के तहत विभिन्न घटकों की प्राप्ति के लिए अर्वाइड किया गया था, की समीक्षा की गई। 45 अनुबंधों में से, 37 अनुबंध, उपकरण और प्रणालियों की खरीद से संबंधित और आठ अनुबंध सिविल कार्यों के अर्वाइड से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में दो वर्ष से लगभग नौ वर्ष की अवधि की देरी पाई। लेखापरीक्षा ने अनुबंध के 11 घटकों को पूरा करने में नाविक कार्यक्रम के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने से लेकर नौ वर्ष से भी ज्यादा समय तक की कुल देरी को भी पाया जैसा तालिका 7.1 में दिया गया है।

⁴² सात उपग्रहों की प्रक्षेपण की लागत शामिल है: ₹ 1,117.06 करोड़; नाविक उपग्रहों के रखरखाव के लिए किया गया व्यय ₹ 42.75 करोड़; और भूमि खंड के रखरखाव के लिए किए गए व्यय ₹ 2.40 करोड़।

⁴³ सभी अनुबंध जो कि नाविक कार्यक्रम से प्रत्यक्ष सम्बंधित थे का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था।

तालिका 7.1: नाविक घटकों हेतु अनुबंधों के क्रियान्वयन में घटक-वार देरी

खंड	घटक	क्रय अनुबंध (देरी माह में)			कार्य अनुबंध (देरी माह में)		
		संख्या	न्यूनतम देरी	अधिकतम देरी	संख्या	न्यूनतम देरी	अधिकतम देरी
अंतरिक्ष खंड	(1) आई.एन.सी.	-	-	-	6	39	118
भूमि खंड	(2) दिशानिर्देशन सॉफ्टवेयर	1	-	31	-	-	-
	(3) संचार लिंक	2	66	104	-	-	-
	(4) आई.आर.आई. एम.एस.	2	44	58	-	-	-
उपयोगकर्ता खंड	(5) आई.आर.एन. डब्ल्यू.टी.	2	38	101	-	-	-
	(6) आई.आर.सी.डी. आर.	6	3	111	2	69	73
	(7) एस.सी.सी.	4	69	112	-	-	-
	(8) सिग्नल निगरानी	1	-	110	-	-	-
	(9) परमाणु घड़ी	2	61	71	-	-	-
	(10) अन्य अंतरिक्ष उपभोज्य	8	25	116	-	-	-
	(11) उपयोगकर्ता उपकरण	9	65	112	-	-	-

देरी के लिए तैयार न किए जा सके स्थलों, तकनीकी विनिर्देशन में परिशोधन, ठेकेदार द्वारा अनुबंध विनिर्देशन का गैर-अनुपालन, प्राशासनिक कारण, लदान में देरी तथा सिविल कार्यों के पूरे होने में हुई देरी को जिम्मेदार बताया गया जैसा कि **परिशिष्ट XIII** में सारणीबद्ध है। देरी के कुछ कारण जहां अप्रत्याशित थे तथा इसरो/डी.ओ.एस. के नियंत्रण से परे थे, देरी का एक सारभूत भाग, अपर्याप्त अनुसरण, सरकार तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ वास्तविक प्रशासनिक ढिलाई की वजह से था। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम की निर्धारित अवधि (दिसंबर 2011) के भीतर घटकों की प्राप्ति नहीं हो पाई थी तथा 45 अनुबंधों में से 36, दिसंबर 2011 के अंत तक अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा ने यह पाया की सात अनुबंध, कार्यक्रम पूरा होने की नियत तिथि से पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी, मई 2017 को अपूर्ण थे। 31 मई 2017 को 31 दिसंबर 2011 से अनुबंधों के अंतर्गत गतिविधियों के पूर्ण होने में देरी तालिका 7.2 में दी गई है।

तालिका 7.2: नाविक में अनुबंधों के पूर्ण होने में घटक-वार

खंड	घटक	समीक्षित अनुबंध	दिसम्बर 2011 के अंत में अपूर्ण अनुबंधों की कुल संख्या	31 मई 2017 तक देरी की रेंज माह में		मई 2017 के समाप्ति पर अपूर्ण अनुबंधों की कुल संख्या
				न्यूनतम	अधिकतम	
भूमि खंड	आई.एन.सी.	6	5	36	61	-
	दिशानिर्देशन सॉफ्टवेयर	1	-	--	--	-
	संचार लिंक	2	2	17	66	1
	आई.आर.आई.एम.एस.	2	2	21	25	-
	आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.	2	1	--	--	1
	आई.आर.सी.डी.आर.	8	5	13	63	-
	एस.सी.सी.	4	4	24	66	1
	सिग्नल निगरानी	1	1	--	49	-
अंतरिक्ष खंड	परमाणु घड़ी	2	2	28	32	-
	अन्य अंतरिक्ष उपभोज्य	8	5	31	66	2
उपयोगकर्ता खंड	उपयोगकर्ता उपकरण	9	9	15	66	2
	कुल	45	36			7

इस प्रकार, नाविक घटकों के लिए अनुबंधों को देने तथा क्रियान्वयन में देरी के कारण घटकों की गैर प्राप्ति/प्राप्ति में देरी हुई जो निर्धारित समय तथा लक्षित तिथि से पाँच वर्ष बीतने के बाद भी नाविक कार्यक्रम के परिचालन को गैर संचालन की ओर ले गया।

7.1.2.3 उपयोगकर्ता उपकरण विकास कार्यक्रम की उपलब्धि में देरी

इसरो ने उपयोगकर्ता रिसीवर के विकास को एक अति महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में चिन्हित किया है (अक्टूबर 2004/अप्रैल 2006)। मंत्रिमंडल उपयोगकर्ता ने उपयोग रिसीवर को शामिल करते हुए अति महत्वपूर्ण तकनीको के विकास हेतु ₹ 200 करोड़ संस्वीकृत किए।

मई 2008 में हुई पी.एम.सी. बैठक में, एक निजी अभिकरण द्वारा उपयोगकर्ता रिसीवर के विकास के विकल्प खोजने तथा इस उद्देश्य हेतु विकास अनुबंध में प्रविष्ट होने का निर्णय लिया गया। जबकि इसरो ने उपयोगकर्ता उपकरण की जाँच हेतु विभिन्न सरकारी अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों तथा आई.आर.एन.एस.एस. फील्ड ट्रायल हेतु इसरो केन्द्रों के साथ साथ तीन वैश्विक दिशानिर्देशन उपग्रह प्रणाली (जी.एन.एस.एस.) सिम्युलेटर (जून 2012 से अगस्त 2014) के लिए ₹ 24.04 करोड़ की कीमत पर उपयोगकर्ता रिसीवर उपकरण खरीदा (सितम्बर 2012 से फरवरी 2017), उपयोगकर्ता विकास कार्यक्रम की घोषणा शैक्षणिक, अनुसंधान तथा व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शामिल करते हुए उपयोगकर्ता उपकरण के विकास हेतु ₹ 13.50 करोड़ के बजट आवंटन के साथ केवल मार्च 2017 में की गई।

इसरो ने कहा (सितम्बर 2016) कि उपयोगकर्ता खंड का विकास, उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसरो से उपयोगकर्ता रिसीवर उपकरणों हेतु अति महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास अपेक्षित था जैसा कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। उत्तर, इस तथ्य का विरोधाभास भी करता है कि इसरो, मार्च 2017 में अंततः उपयोगकर्ता विकास कार्यक्रम का दायित्व ले चुका है।

7.1.2.4 निष्पादन मूल्यांकन की गैर-पूर्णता

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, नाविक का प्रमाणन, उपयोगकर्ता को निर्बाध लगातार पी.एन.टी. सेवा प्रदान करने के संबंध में किया जाना अपेक्षित था। 11 अगस्त 2009 को हुई बैठक में, परियोजना प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि नियमों के अनुसार उपयोगकर्ता रिसीवर की विनिर्देशन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) को भेजनी होगी। परियोजना प्रबंधन संघ, ने अप्रैल 2016 में हुई इसकी बैठक में कहा कि नाविक को क्रियाशील घोषित करने से पहले, पी.एस.ए. में आई.आर.एन.एस.एस. का निष्पादन मूल्यांकन, भारतीय भू-भाग तथा भारत के बाहर के स्थानों जो पीएसए के भाग हैं, मूल्यांकित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2016 तक कार्यक्रम में निष्पादन मूल्यांकन को शामिल करते हुए प्रमाणन तथा मान्यकरण नहीं किया गया था।

इसरो ने कहा (सितम्बर 2016) कि नाविक का मूल्यांकन तथा मान्यकरण चल रहा था।

7.1.2.5 मॉडेम की अनावश्यक खरीद

डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया 2009 का पैरा 2.4.2 अनुबंधित करता है कि संबंधित क्षेत्रों से तकनीकी विशेषज्ञों वाली आवश्यकता पहलू समिति, उपकरणों के विशेष विवरण की आवश्यकता व उपयुक्तता तथा खरीद हेतु प्रस्तावित प्रणालियों की जाँच करेगी।

इसरो को चार आई.आर.एन.एस.एस. सी.डी.एम.ए. रेंजिंग स्टेशन (आई.आर.सी.डी.आर.एस.) स्थापित करने थे। रेंजिंग सिग्नल प्राप्त करने के लिए चार स्टेशन को आठ मॉडेम की आवश्यकता थी। बाजार में दो तरह के मॉडेम उपलब्ध है नामतः एस.ए.टी.आर.ई. तथा सी.ओ.आर.टी.ई.एक्स.। इसरो के पास अपने विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु यह दोनों मॉडेम उपलब्ध थे। जहां भू-स्थैतिक कक्षा (जी.ई.ओ.) में उपग्रहों से सिग्नल ग्रहण करने के लिए एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम का उपयोग किया जाता है, भू-तुल्यकालिक कक्षा (जी.एस.ओ.) में उपग्रहों के लिए कोर्टेक्स मॉडेम की आवश्यकता होती है। सात नाविक उपग्रहों में से, चार उपग्रह (आई.आर.एन.एस.एस.-1ए, 1बी, 1डी तथा 1ई) जी.एस.ओ. में स्थित किए गए थे तथा शेष तीनों उपग्रह (आई.आर.एन.एस.एस.-1सी, 1एफ तथा 1जी) जी.ई.ओ. में स्थित किए गए थे।

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद (एस.ए.सी.) ने एक विदेशी फर्म से ₹ 3.57 करोड़ की कुल कीमत पर आठ (दो मॉडेम जुलाई 2007 तथा छह मॉडेम फरवरी 2008 में) एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम खरीदे। तत्पश्चात, अगस्त 2016 में इसरो ट्रेकिंग, टेलीमेट्री तथा कमांड केंद्र ने एक अन्य विदेशी फार्म से इस आधार पर कि पूर्व में क्रय किए गए एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम, जी.एस.ओ. ऑर्बिट में उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, ₹ 2.98 करोड़ की कीमत पर आठ सी.ओ.आर.टी.ई.एक्स. मॉडेम खरीदे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह तथ्य कि, जी.एस.ओ. ऑर्बिट में चार उपग्रह थे, की जानकारी आवश्यकता पहलू समिति को होनी चाहिए थी तथा मॉडेम की खरीद के दौरान इसे ध्यान में लिया जाना चाहिए था।

इसरो की मॉडेम की खरीद के उपग्रहों के साथ मेल होने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.57 करोड़ की कीमत पर आठ एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम की अनावश्यक खरीद हुई।

7.1.3 निष्कर्ष

नाविक, जिसका दिसम्बर 2011 तक परिचालन किया जाना था, जून 2017 के अंत तक भी परिचालन नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित स्थिति, दिशानिर्देशन तथा समय सेवाएं उपयोगकर्ताओं को प्रदान नहीं की जा सकी। यद्यपि अंतरिक्ष खंड पूरा हो चुका था, नाविक, भूमि खंड तथा उपयोगकर्ता खंड की गैर-पूर्णता की वजह से गैर-संचालित रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य तत्वों की प्राप्ति में देरी थी, जो उपग्रहों के बेकार पड़े रहने की ओर ले गया। चूंकि नौवहन उपग्रहों का जीवन 10 से 12 वर्ष है तथा कार्यक्रम के तहत पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके उपग्रह 14 महीनों से 4 वर्ष तक बेकार रहे, नाविक कार्यक्रमों की प्राप्ति में देरी, उनकी उपयोगिता की अवधि को सीमित करेगी जब एक बार कार्यक्रम का परिचालन

हो जाएगा। इसके अलावा, नाविक उपग्रहों हेतु बनाई गई भूमि खंड अवसंरचना, भी अप्रयुक्त पड़ी रही।

यह मामला अक्टूबर 2017 में डी.ओ.एस. को भेजा गया; इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

7.2 सॉफ्टवेयर विकास पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग द्वारा डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली के विकास पर एक परियोजना के कार्यान्वयन और समुचित निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप इसके आरम्भ होने से 11 वर्ष से अधिक में, ₹ 2.27 करोड़ के खर्च के बावजूद, सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ।

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) डी.ओ.एस. का अनुसंधान और विकास स्कंध है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है।

डी.ओ.एस. ने अपने प्रशासन, वित्त, वेतनपत्रक, खरीद और स्टोर कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए "प्रशासनिक क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत कार्य (सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए.)" नामक एक आंतरिक पैकेज विकसित किया और 2002⁴⁴ के बाद से अपने सभी केन्द्रों में इसे चरणबद्ध तरीके से परिचालन किया। प्रशासनिक कार्य प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने, इसरो परियोजनाओं की तत्क्षण निगरानी, सभी डी.ओ.एस./इसरो केंद्रों/बाहरी एजेंसियों की कनेक्टिविटी और एम.आई.एस. सेवाओं का विकास करने के उद्देश्य से डी.ओ.एस. ने एक विस्तृत प्रणाली विश्लेषण, प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग और प्रशासन के सभी समूहों में एक एकीकृत डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली (डी.डब्ल्यू.एफ.एस.) की स्थापना करने हेतु एक अंतर-केंद्र समिति का गठन किया (अप्रैल 2006)।

समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2007 में प्रस्तुत की। डी.ओ.एस. ने, यह परिकल्पना करते हुए कि डी.डब्ल्यू.एफ.एस. को सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. प्रणाली के आधार पर बनाया जाएगा और अंततः यह चरणबद्ध तरीके से सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. को प्रतिस्थापित कर देगा, आदेश जारी (जुलाई 2007) किए। डी.डब्ल्यू.एफ.एस. का विकास और कार्यान्वयन ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर 20 महीनों के भीतर अर्थात् मार्च 2009 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। डी.ओ.एस. ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए

⁴⁴ परियोजना की शुरुआत 1997 में की गई थी।

नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने, परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाओं और पद्धतियों की स्वीकृति देने और समय-समय पर परियोजना की समीक्षा करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परिषद (पी.एम.सी.) गठित (जुलाई 2007) की। डी.डब्ल्यू.एफ.एस. के त्वरित विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन बोर्ड (पी.एम.बी.) का गठन (सितंबर 2008) भी किया गया।

डी.डब्ल्यू.एफ.एस. के विकास को यथा परिकल्पित प्रगति नहीं मिली। चूंकि प्रगति संतोषजनक नहीं थी और परियोजना कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जनशक्ति के लिए अनुरोध किया था, इसलिए इसरो ने निर्देश दिया (जुलाई 2009) कि उसके तीन केन्द्रों यथा सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा (एस.डी.एस.सी.), विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम (वी.एस.एस.सी.) और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वालियामाला (एल.पी.एस.सी.) डी.डब्ल्यू.एफ.एस. के विकास की जिम्मेदारी लेंगे। जहाँ एस.डी.एस.सी. को 16 मॉड्यूल सौंपे गए थे, वहीं वी.एस.एस.सी. और एल.पी.एस.सी. को क्रमशः 10 और 13 मॉड्यूल सौंपे गए। अक्टूबर 2009 में, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता से संबंधित दस्तावेज, सत्यापन एवं अधिप्रमाणन तथा तकनीकी एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने और जाँच योजना प्रलेख तैयार करने के लिए डी.ओ.एस./इसरो ने स्थायी समीक्षा समिति⁴⁵ (एस.आर.सी.) और सत्यापन और अधिप्रमाणन समिति⁴⁶ (वी. एंड वी.) का गठन किया।

काम की प्रगति धीमी रही। डी.डब्ल्यू.एफ.एस. परियोजना टीमों ने रिपोर्ट दी (अगस्त 2015) कि एस.डी.एस.सी. को आवंटित 80 प्रतिशत के मॉड्यूल का विकास पूरा हो गया था, जबकि वी.एस.एस.सी. और एल.पी.एस.सी. को सौंपे गए मॉड्यूल का विकास कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था। यह भी बताया गया कि एस.डी.एस.सी. द्वारा विकसित मॉड्यूल में से केवल अवकाश मॉड्यूल एस.डी.एस.सी. में तैनात किया गया था। हालांकि, इस मॉड्यूल को डी.ओ.एस. के अन्य केंद्रों में तैनात नहीं किया गया था। परियोजना टीमों ने कहा कि आंतरिक विशेषज्ञता के अभाव, समर्पित विकास दल की गैर-तैनाती, प्राथमिकता वाले अन्य मुद्दों, कार्य प्रवाह आवश्यकताओं के लिए डोमेन विशेषज्ञों की पहचान नहीं किए जाने और समीक्षा समितियों के गैर-अस्तित्व, क्योंकि कई सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके थे, के कारण डी.डब्ल्यू.एफ.एस. की प्रगति में बाधा पड़ी। परिणामस्वरूप, मार्च 2017 तक डी.डब्ल्यू.एफ.एस. को विकसित/तैनात नहीं

⁴⁵ समिति का गठन (क) सॉफ्टवेयर आवश्यकता दस्तावेजों; (ख) वास्तुकला डिजाइन; (ग) प्रोटोटाइप डिजाइन; (घ) विस्तृत डिजाइन; (ड.) सत्यापन एवं अधिप्रमाणन तथा तकनीकी एवं मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदनों; (च) परिवर्तन नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश की समीक्षा के लिए की गई थी।

⁴⁶ समिति का गठन (क) एस.आर.एस. के लिए मानक टेम्पलेट दस्तावेज, डिजाइन और टेस्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए; (ख) एस.आर.एस. दस्तावेज, डिजाइन दस्तावेज की समीक्षा करने; (ग) जाँच योजना प्रलेख, जाँच प्रकरण तैयार करने; (घ) कोड की जाँच के लिए की गई थी।

किया गया था। डी.ओ.एस. ने डी.डब्ल्यू.एफ.एस. परियोजना में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परामर्श सेवाओं पर ₹ 2.27 करोड़ का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ओ.एस. द्वारा गठित विभिन्न समीक्षा समितियों ने परिकल्पित कार्यों का निष्पादन नहीं किया था। पी.एम.सी. ने नीतिगत दिशा-निर्देश नहीं दिया, परिवर्तित प्रबंधन पद्धतियों को स्वीकृति और समय-समय पर परियोजना की समीक्षा नहीं की। इसने मार्च 2008 में अपनी पहली बैठक आयोजित की जब उसने कार्रवाई से संबंधित मद्दों की पहचान की। इसके बाद उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन के लिए इसने किसी भी समय बैठक नहीं की। पी.एम.बी. ने भी डी.डब्ल्यू.एफ.एस. का त्वरित विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया। इसने अक्टूबर 2010 में अपनी अंतिम बैठक आयोजित की और उसके बाद परियोजना की समीक्षा नहीं की। इस बैठक के कार्यवृत्त ने दर्शाया कि डी.डब्ल्यू.एफ.एस. तब भी विकसित किया जा रहा था। वी. एंड वी. की अंतिम बैठक दिसंबर 2010 में और एस.आर.सी. की फरवरी 2011 में आयोजित हुई थी, जो दर्शाता है कि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया था।

इस प्रकार, परियोजना की खराब निगरानी और परियोजना के कार्यान्वयन में सामने आए मामलों का सुसंबद्ध तरीके से सामाधान करने में विफलता के परिणामस्वरूप इसके आरम्भ होने से 11 वर्ष से अधिक में, ₹ 2.27 करोड़ के व्यय के बावजूद, डी.डब्ल्यू.एफ.एस. का विकास नहीं हुआ।

मामले को डी.ओ.एस. को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

